इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 310] भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 जुलाई 2019—आषाढ़ 31, शक 1941

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2019

क्र. बी-8-20-2019-चौदह-2.—भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक 13015/03/2016–क्रेडिट II दिनांक 25 अप्रैल 2018 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2019 में **पटवारी हल्का, तहसील एवं जिला स्तर पर बीमित की जाने वाली** फसलों की अधिसूचना जारी की जाती है। संलग्न सूची अनुसार **पटवारी हल्कों, तहसील एवं जिला** के समक्ष अंकित फसलों के लिये परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है:–

1. यह योजना भारत सरकार के पत्र क्रमांक 13015/03/2016–क्रेडिट II दिनांक 25 अप्रैल 2018 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के अधिसूचित जिलों/तहसीलों/पटवारी हल्कों में अधिसूचित फसलों के लिये कार्यान्वित की जावेगी ।
2. यह योजना अधिसूचित क्षेत्र के अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य एवं अऋणी कृषकों के लिये ऐच्छिक है ।
3. खरीफ मौसम में कृषकों का बीमा करने एवं प्रीमियम जमा करने की समय–सीमा 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक है । इस अवधि में अधिसूचेत क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों के लिये अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषकों का बीमा होना अनिवार्य है । अऋणी कृषकों हेतु फसल बीमा ऐच्छिक है । अधिसूचित फसल हेतु बीमित राशि जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये निर्धारित अल्पावधि फसल ऋणमान (स्केल ऑफ फायनेन्स) का 75 प्रतिशत लागू होगा, जिसे पृथक से अधिसूचित किया जावेगा । ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु बीमित राशि समान होगी ।
4. कृषकों हेतु प्रीमियम दर मौसम खरीफ में समस्त अनाज तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 2.0 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो, कपास फसल हेतु बीमित राशि का 5 प्रतिशत या वास्तविक पर जो भी कम हो तथा मौसम रबी में समस्त अनाज, तिलहन एवं दलहन फसलों के लिये बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत या वास्तविक दर, जो भी कम हो लागू होगी ।
5. म.प्र.राज्य में सभी बीमित अधिसूचित फसलों के लिये ऋणी एवं अऋणी कृषकों हेतु क्षतिपूर्ति स्तर 80 प्रतिशत होगा ।
6. यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र जिला/तहसील/पटवारी हल्कों में निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग नहीं होते है या औसत पैदावार के आंकडे प्राप्त नहीं होते हैं, तो उस इकाई के उच्चतर इकाई की औसत पैदावार के आंकडों के आधार पर दावों का आंकलन किया जायेगा ।
7. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के अनुसार योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों की अंतिम तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती हैं:–

क्र.	गतिविधि	खरीफ	रबी
1.	सीजन के लिए किसानों के नामांकन का आरंभ	1 अप्रेल से	1 अक्टूबर से
2.	ऋणी किसान द्वारा बीमाकृत फसल के परिवर्तन की सूचना के लिए कट-ऑफ तारीख।	किसानों से प्रीमियम के डेबिट / संग्रह के लिए कट-ऑफ की तारीख से 2 दिन पहले	किसानों से प्रीमियम के डेबिट / संग्रह के लिए कट-ऑफ की तारीख से 2 दिन पहले
3.	बैंकों/पीएसीएस/सीएससी/बीमा एजेंट/किसानों द्वारा ऑनलाइन नामांकन आदि सहित सभी हितधारकों द्वारा ऋणी एवं अऋणी किसानों के खाते से प्रीमियम काटने एवं किसानों के आवेदन की प्राप्ति के लिए कट-ऑफ तारीख।	31 जुलाई	31 दिसंबर 2019
4.	प्रतिबंधित बुवाई की घोषणा	किसानों के नामांकन के लिए कट-ऑफ तारीख से 15 दिनों के भीतर	किसानों के नामांकन के लिए कट-ऑफ तारीख से 15 दिनों के भीतर
5.	बैंक शाखाओं (CBs/RRBs/DCCB/PACs) द्वारा संबंधित बीमा कंपनी को समेकित घोषणाओं के साथ प्रीमियम के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण, फसल बीमा पोर्टल पर व्यक्तिगत कवर किए गए किसानों के विवरण अपलोड करना, एवं सभी बीमित किसानों को एसएमएस प्रेषित करना ।	किसानों के नामांकन की कट-ऑफ तारीख से 15 दिनों के भीतर	
6.	नामित बीमा एजेंटों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर कवर किए गए किसानों के प्रीमियम का बीमा कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण और फसल बीमा पोर्टल पर व्यक्तिगत कवर किए गए किसानों के विवरण अपलोड करना।	आवेदन और प्रीमियम प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर	
7.	बीमा कंपनी द्वारा पोर्टल पर किसान के डेटा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की अंतिम तिथि	बैंकों/पीएसी/सीएससी/एजेंट द्वारा बीमित कृषकों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि से ऋणी कृषकों के लिए 15 दिवस एवं अऋणी कृषकों के लिए 30 दिवस के भीतर	
8.	सीएससी/बैंकों/मध्यस्थों द्वारा फसल बीमा पोर्टल पर बीमा कंपनी द्वारा सूचित भुगतान आवेदन को सही / अद्यतन करने के लिए।	बीमा कंपनी द्वारा सूचना की तारीख से 7 दिनों के भीतर।	
9.	फसल बीमा पोर्टल से बैंक शाखाओं और अन्य हितधारकों के साथ दावों की विस्तृत जानकारी साझा करना।	बीमा कंपनी द्वारा दावे के अनुमोदन के 7 दिनों के भीतर।	

8. योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फसल अवस्थाओं पर अधिसूचित फसलों हेतु अधिसूचित क्षेत्र में फसल क्षति जोखिम आवरित किये जाते हैं।

I. **बाधित बुआई/रोपण/अंकुरण जोखिम** : बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण/अंकुरण क्रिया न होने एवं होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा ।

II. **खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक)** : गैर बाधित जोखिमों यथा सूखे, लम्बी शुष्क कीट व रोग, बाढ़, जलभराव, भू–स्खलनों, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिये वृहत जोखिम बीमा दिया जाता है।

III. **फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान** : यह बीमा आच्छादन ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह के लिये ओलावृष्टि, चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है, जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सूखने के लिये फैली हुई या छोटे बंडल अवस्था में छोड़ा जाता है ।

IV. **स्थानीय आपदाएं** : अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि–भूमि को प्रभावित करने वाली ओला वृष्टि, भू–स्खलन और जलभराव, बादल फटना, आकाशीय बिजली कड़कने से प्राकृतिक आग के अभिचिन्हित स्थानीयकृत जोखिमों से होने वाले नुकसान/क्षति ।

फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अंतिम दावों का भुगतानः– अंतिम दावा राशि की गणना फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उत्पादकता के आधार पर निम्नानुसार सूत्र के आधार पर की जावेगी ।

$$\text{दावा राशि} = \frac{\text{(थ्रेशोल्ड उपज – वास्तविक उपज)}}{\text{थ्रेशोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

वास्तविक उपज की गणना फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर की जावेगी । किसी बीमित इकाई में बीमित फसल की थ्रेशोल्ड उपज की गणना अधिसूचित इकाई में अधिसूचित फसल के लिये पिछले 7 वर्षों के उत्पादकता के आंकडों में से सबसे श्रेष्ठ (अधिक) 5 वर्षों के उत्पादकता के आंकडों से की जावेगी। मूंग एवं उड़द हेतु थ्रेशोल्ड उपज की गणना पिछले 6 वर्षों के उत्पादकता के आंकडों में से सबसे श्रेष्ठ (अधिक) 05 वर्षों के उत्पादकता के आंकडों के आधार पर की जावेगी।

उपरोक्त फसल अवस्थाओं में फसल क्षति की स्थिति में किसानों द्वारा सूचना, क्षति का सर्वेक्षण, दावा गणना, दावों का भुगतान आदि सभी प्रक्रियाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित मार्गदर्शी निर्देशिका, निविदा की शर्तों एवं राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति तथा म.प्र.शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।

सामान्य अपवर्जनः युद्ध, नाभिकीय जोखिमों से होने वाली हानियों, दुर्भावनाजनित क्षतियों और अन्य निवारणीय जोखिमों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा ।

9. मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक बी–8–5/2016/14–1, भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2016 द्वारा जारी आदेशानुसार संबंधित जिले की मूल्यांकन समिति निम्नानुसार होगी तथा योजना के सुचारु क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित बीमा कंपनी जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के मार्गदर्शन में कार्य करेगी तथा संबंधित कंपनी के द्वारा योजना के प्रचार–प्रसार का कार्य जिले में किया जायेगा ।

क्रमांक	मूल्यांकन समिति के सदस्य	पद
1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
3	अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर राजस्व	सदस्य सचिव
4	उप संचालक कृषि	सदस्य
5	परियोजना संचालक आत्मा	सदस्य
6	उप संचालक/सहायक संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	सदस्य
7	जिला योजना अधिकारी	सदस्य
8	उपायुक्त सहकारिता	सदस्य
9	अधीक्षक भू–अभिलेख	सदस्य
10	महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
11	जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड	सदस्य
12	कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
13	जिला लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
14	प्रतिनिधि क्रियान्वयन एजेन्सी (फसल बीमा के लिये अधिकृत एजेन्सी)	सदस्य

10. ऋणी कृषकों के लिये प्रीमियम राशि अतिरिक्त ऋण के तौर पर स्वीकृत की जानी चाहिये जो कि बीमित राशि से अतिरिक्त होगी ।
11. मौसम के दौरान कृषक को वास्तविक तौर पर ऋण स्वीकृत किया जाना चाहिये ना कि कृषक द्वारा पूर्व में लिया गया ऋण जो कि चुकता नहीं किया गया हो, उसका बुक समायोजन नहीं किया जायेगा तथा सीजन विशेष हेतु स्वीकृत ऋण अनुसार ही कृषक के खाते से प्रीमियम काटकर बीमांकन किया जायेगा।
12. बैंक द्वारा बीमांकन के लिये प्रीमियम राशि फसल मौसम के अनुसार ही निर्धारित की गई तिथि के अंदर काटी जावेगी । खरीफ एवं रबी के लिये प्रीमियम राशि पृथक–पृथक काटी जावेगी ।
13. राज्य में अधिसूचित बीमित इकाई एवं फसलों के अनुसार पटवारी हल्का स्तर पर प्रमुख फसलों के 4, तहसील स्तर पर 16 एवं जिला स्तर पर 24 फसल कटाई प्रयोग राजस्व विभाग द्वारा आयोजित किये जावेगें ।
14. राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति के निर्णयानुसार अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु वास्तविक उपज के आंकडे व बोया गया रकबा राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा ।
15. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की संशोधित प्रचालन मार्गदर्शी निर्देशिका के बिन्दु क्रमांक **35 - Role** and Responsibilities of various agencies - Financial institutions / Banks के अनुसार "योजना के तहत यदि नोडल बैंक/शाखा/पी.ए.सी.एस की गल्तियों/विलोपनों/कमीशन के कारण किसान फसल बीमा के लाभ से वंचित रहता है, तो संबंधित वित्तीय संस्थाऐं ही ऐसी हानियों की भरपाई करेगी ।
16. प्रदेश में खरीफ मौसम में धान सिंचित, धान असिंचित, बाजरा, मक्का, तुअर, सोयाबीन, को पटवारी हल्का स्तर पर ज्वार, कोदो–कुटकी, मूंगफली, तिल, कपास को तहसील स्तर पर एवं मूंग उड़द को जिला स्तर पर परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है । म.प्र.राज्य में निम्नलिखित जिलों के समक्ष दर्शाई गई फसलों हेतु परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है ।

17. प्रदेश में खरीफ 2019 एवं रबी 2019–20 में योजना के क्रियान्वयन हेतु जिलों के 11 क्लस्टर बनाये गये हैं । निविदा के आधार पर क्लस्टरवार बीमा कंपनियों का चयन क्रियान्वयन एजेंसी के रुप में किया गया है । प्रदेश में निर्धारित क्लस्टर एवं बीमा कंपनियां निम्नानुसार है:–

क्लस्टर क्रमांक	क्लस्टर अंतर्गत आने वाले जिले	एल–1 कंपनी	वेटेड एवरेज प्रीमियम दर
1	उज्जैन	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.,	12.30
2	मंदसौर,नीमच,रतलाम,आगर–मालवा	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10.33
3	देवास, शाजापुर	बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.14
4	भोपाल, राजगढ़	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.	12.95
5	सीहोर	इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	11.01
6	रायसेन, विदिशा	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.	12.48
7	इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.	9.93
8	ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.	8.25
9	जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा,नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी	ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि.,	7.80
10	शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल	इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	11.50
11	रीवा,सीधी,सतना,सिंगरौली,सागर, दमोह,छतरपुर,टीकमगढ़,पन्ना,निवाड़ी	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि.	10.80

18. योजना से संबंधित अन्य दिशा–निर्देशों का पालन एवं क्रियान्वयन संशोधित प्रचालन मार्गदर्शिका, वर्ष 2019–20 हेतु जारी निविदा की शर्तों एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जावेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उपेन्द्र नाथ शर्मा, उपसचिव.